संख्या-666/2026/2017/22-2-2025-17(699)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रदेव प्रसाद गौंड पुत्र श्री कन्हैया गौंड, निवासी जनपद-चन्दौली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रदेव प्रसाद गौंड पुत्र श्री कन्हैया गौंड (दिनांक 12.09.2023 तक 32 वर्ष 04 दिन), जो ग्राम-परसिया, थाना-कचरघट्टा, जनपद-चन्दौली का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को दिनांक 25.11.2011 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर जहर देकर श्रीमती सीमा की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 58/2012 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फस्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली के आदेश दिनांक 28.02.2017 (पताका-x) द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.09.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष 11 माह 15 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 07 माह 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने से अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 12.09.2023 तक बन्दी की 32 वर्ष 04 दिन की आयु, बन्दी द्वारा 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.09.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष 11 माह 15 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 07 माह 09 दिन दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रदेव प्रसाद गौंड (बन्दी संख्या-172/2018) पुत्र श्री कन्हैया गौंड, निवासी जनपद-चन्दौली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-666/2026/2017(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।

2- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।